

41/18 2024/12 45 हुमदारा नगर

ख
कम 22
5
18


पत्रावली राजस्व कार्डवादी मसविधि के अन्तर्गत सेवा केन्द्र ग्राम पंचायत कमठाई में पेश हुई। प्रार्थी पक्ष की ओर पैरोकार सरकार नायब तहसीलदार (कोर्ट) सिणधरी उपस्थित। विप्रार्थीगण को जारी नोटिस बाद तामिल शुदा प्राप्त हुई। जो शामिल मिसिल हों। विप्रार्थी संख्या 1,2 व 4,5 एवं 7 उपस्थित। इनकी पहचान सरपंच पति कमठाई श्री केहराराम डूडी द्वारा दी गई। उक्त विप्रार्थीगण की ओर से निवेदन किया गया कि तहसीलदार सिणधरी की ओर से प्रस्तुत आवेदन स्वीकार किया जाता है, तो उन्हें कोई आपर्ति नहीं है। शेष विप्रार्थी संख्या 3 व 6 बावजूद सूचना अनुपस्थित है। बावजूद सूचना के हाजिर नहीं इनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है।

प्रार्थी पक्ष की बहस सुनी गई। दौराने बहस कथन किया कि विवादित भूमि मे दर्शित रकबा का उपयोग आमजन द्वारा आवागमन हेतु उपयोग में लिया जा रहा है। और मौके पर रास्ता चल रहा है। लेकिन राजस्व रिकार्ड में सरकारी खाते एवं निजी खातेदारी में दर्ज है। जिसे राजस्व रिकार्ड में गै.मु.रास्ता दर्ज किया जावे। विप्रार्थी संख्या 1,2 व 4,5 एवं 7 की ओर से रास्तो निकालने की सहमति दी गई।

हमने उभयपक्ष को सुना। और पत्रावली के सलंगन राजस्व रिकार्ड, दस्तावेजात का गम्भीरता पूर्वक अवलोकन किया। तथा तथ्यो का विधि के परिप्रेक्ष्य में विवेचन किया गया। जिसमें पाया गया कि पाया कि, आवेदन में दर्शित विवादित भूमि का रकबा किस्म बा.दोयम निजी खातेदारी व बा.सोयम सरकारी खाते में दर्ज है। जिसकी मौके पर उक्त प्रस्तावित रकबा का आमजन के आने जाने हेतु रास्ते के रूप में उपयोग मे लिया जा रहा है, और तहसीलदार सिणधरी द्वारा भी उक्त रकबे की किस्म गै.मु.रास्ता दर्ज करने की सिफारिश की गई है। एवं विप्रार्थी संख्या 1,2 व 4,5 एवं 7 की ओर से रास्ता निकालने की सहमति दी गई है, और स्वीकार किया है, कि दर्शित रकबानुसार मौके पर कदीमी रास्ता चल रहा है। इससे स्पष्ट है। कि प्रस्तावित रकबेनुसार मौके पर रास्ता चल रहा है। ऐसी सूरत में न्यायालय को गै.मु.रास्ता दर्ज किये जाने में कोई आपर्ति प्रतीत नहीं होती है।

लिहाजा प्रार्थी का आवेदन लोकभावना एवं जनहित को मध्यनजर रखते हुए स्वीकार किया जाकर विस्तृत आदेश पृथक से लिखा जाकर सुनाया गया और शामिल मिसल किया गया।

पत्रावली फेसल सुमार होकर दाखिल/दफतर हो।


उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुकम की तामील
में जारी हुए

हुमदारा

केहराराम

केहराराम

केहराराम

केहराराम

केहराराम

केहराराम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर सिणधरी

(राजस्व लोक अदालत/केम्प स्थल-अटल सेवा केन्द्र ग्रा.प.कमठाई)

पीठासीन अधिकारी-श्री अंजुन ताहिर सन्ना,आर.ए.ए.ए.

क्रमांक:/राजस्व/2018/

-1199

दिनांक 22/5/18

--:आदेश:-

श्रीमान जिला कलक्टर बाड़मेर के पत्रांक.प.120(1)राजस्व/2016/7205-40 दिनांक 10.10.2016 प्राप्त निर्देशों की अनुपालना में तहसीलदार सिणधरी द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि राजस्व ग्राम टाकूबेरी पटवार मण्डल कमठाई तहसील सिणधरी की जमाबंदी संवत् 2071-2074 के अनुसार निम्नांकित भूमि राजकीय सिवायचक (समर्पण भूमि) एवं निजी खातेदार में दर्ज है। लेकिन मौके पर रास्ते के उपयोग में आ रही है, जिसे गैर मुमकिन रास्ता दर्ज करवाने के आदेश प्रदान करावें।

भूमि धारक तहसीलदार सिणधरी द्वारा अनुशंषा किये जाने पर राजस्व (ग्रुप-6) विभाग राजस्थान सरकार के परिपत्र क्रमांक.प 3(2)राज-6/2003/पार्ट/04 दिनांक 10.08.2016 के अनुसरण में राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 131 एवं 132 तथा राजस्थान भू-अभिलेख नियम 1957 के नियम 60(एच) के तहत राजस्व ग्राम टाकूबेरी पटवार मण्डल कमठाई तहसील सिणधरी की निम्नांकित दर्शित राजकीय सिवायचक भूमि (समर्पण भूमि) एवं निजी खातेदारी को गैर मुमकिन रास्ता दर्ज करने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार सिणधरी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव व नजरी नक्शा आदेश का अभिन्न अंग रहेगा।

क्र.सं.	खातेदार का नाम	ख.न.	कुल रकबा (बीघा)	किस्म	रास्ते हेतु मौके अनुसार प्रस्तावित भूमि		
					रकबा	किस्म	
1	राजस्थान सरकार	213/1	0-17	बा.सोयम	0-17	गे.भु.रास्ता	
		209/1	0-07	बा.सोयम	0-07	गे.भु.रास्ता	
		322/211	1-00	बा.सोयम	0-03	गे.भु.रास्ता	
		209/2	0-08	बा.सोयम	0-08	गे.भु.रास्ता	
		221/1	0-10	बा.सोयम	0-10	गे.भु.रास्ता	
		179/1	0-10	बा.सोयम	0-10	गे.भु.रास्ता	
		2	हुकमाराज वल्लभ गुलाराज कौम जाट सा.देह खातेदार	211	83-17	बा.सोयम	1-07 0-02
3	सकाशम वल्लभ पेलाशराम सुभेदाराम कंठशराम भोगाराम दमाराम वि. विशनाशम लक्ष्मदेवी पति विशनाशम कौम जाट सा.होखू खातेदार।	286/177	43-15	बा.सोयम	0-17	गे.भु.रास्ता	
		288/179	40-00	बा.सोयम	0-04	गे.भु.रास्ता	




उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

क्रमांक: /राजस्व/2018/ 1200-1201

प्रतिलिपि:—सूचनार्थ एवं आवश्यक पालनार्थ।

1. तहसीलदार सिणधरी।

दिनांक 21/5/18



उपखण्ड अधिकारी, सिणधरी

नाम ग्राम: 21/5/18
नं. स. क्र. स.
(रास्ता)

